क्रम-संख्या--643

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 सितम्बर, 1986

भाद्रपद 31, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1688/सत्रह-वि-1-1 (क)-19/1986

लखनऊ, 22 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 1986

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1986]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 के दीर्घ नाम का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ नाम में शब्द "चल-चित्र यंत्र" के पश्चात् शब्द "और वीडियो" बढ़ा दिये जायेंगे ।

प्रस्तावना का संशोधन

3--मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, शब्द "चल-चित्र यंत्र" के पश्चात् शब्द "और वीडियो" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

(क) खण्ड (क) में शब्द "यंत्र" के पूर्व शब्द "वीडियो से भिन्न" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"(क क) "वीडियो द्वारा प्रदर्शन" का तात्पर्य चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों के पूर्व में रिकार्ड किये गये कैसेट को, चाहे टेलीविजन सेट या वीडियो स्कोप के स्क्रीन पर या अन्यथा वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा चलाकर या पुनः चलाकर प्रवेश के लिए भुगतान लेकर सार्वजनिक प्रदर्शन से है ;

स्पष्टीकरण:--इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, किसी जलपान गृह या होटल या सार्वजनिक परिवहन गाड़ी में वीडियो द्वारा प्रदर्शन को प्रवेश के लिये भुगतान लेकर किया गया प्रदर्शन समझा जायगा चाहे ऐसे प्रदर्शन में प्रवेश के लिये भुगतान, यथास्थिति, जलपान या भोजन या कमरे का किराया या यात्री भाड़ा या अन्य किसी प्रभार के लिये भुगतान से सुभिन्न रूप में लिया गया हो या नहीं" ;

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"(छ) "वीडियो पुस्तकालय" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जहां वीडियो कैसेट में रिकार्ड की गयी चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों को बेचने या किराये पर देने या वितरण या विनिमय करने या चाहे किसी भी प्रकार से परिचलन में लाने का कारोबार किया जाता हो।"

धारा 3 का प्रतिस्थापन

5--मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"3--उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा की गयी है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न किसी स्थान पर या ऐसे लाइसेंस द्वारा आरोपित शर्तों और निर्बन्धनों का अनुपालन किये बिना--

लाइसेंस

(क) चल-चित्र यंत्र द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करेगा ; या

(ख) वीडियो द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करेगा ; या

(ग) कोई वीडियो पुस्तकालय नहीं रखेगा।"

नयी धारा 6-क का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"6-क (1) लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता से, जो आवश्यक हो, किसी ऐसे स्थान में जिसका प्रयोग सामान्यतया चल-चित्र यंत्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये या वीडियो पुस्तकालय रखने के लिये किया जाता हो या जिसका इस प्रकार प्रयोग किये जाने का संदेह हो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

निरीक्षण

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ऐसे व्यक्ति से जिस पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का संदेह हो, अपना नाम और पता तुरन्त बताने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या बताने में विफल रहे या यदि अधिकारी को उस पर मिथ्या नाम और पता बताने का समुचित सन्देह हो तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और निकटतम पुलिस थाने में निरुद्ध कर सकता है या करा सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 के उपबन्ध लागू होंगे।"

धारा 8 का प्रतिस्थापन

7--मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेगी, अर्थात्--

"8 (1) यदि किसी चल-चित्र यंत्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है या प्रयोग करने देता है, या यदि किसी स्थान का स्वामी या अध्यासी चल-चित्र-यंत्र द्वारा प्रदर्शन के लिये उस स्थान का प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, या यदि कोई व्यक्ति वीडियो द्वारा प्रदर्शन करता है या वीडियो पुस्तकालय रखता है जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का या उन शर्तों और निर्बन्धनों का जिन पर या जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता है तो वह जुर्माने से

शास्ति

जो दो हजार रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्मानें से जो ऐसे प्रत्यक दिन के लिये जिसके दौरान अपराध जारी रहे, पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या द्वारा आरोपित अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन करने में ऐसे अधिकारी को अन्यथा बाधा डालता है तो वह जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अपराधों का शमन

8—क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, अपराध के लिये नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा ;

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति होगा।"

धारा 10 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द "किसी चल-चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन को अथवा प्रदर्शनों के वर्ग" के स्थान पर शब्द "किसी चल-चित्र यंत्र या वीडियो द्वारा किसी प्रदर्शन या प्रदर्शन के वर्ग या किसी वीडियो पुस्तकालय" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "चल-चित्र प्रदर्शन दिखाये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "चल-चित्र यंत्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन किये जायेंगे या वीडियो पुस्तकालय रखे जायेंगे" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "स्थानों के तथा चल-चित्र प्रदर्शनों के लिये लाइसेंसों" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1688 (2) /XVII-V-1—1 (KA) -1986

Dated Lucknow, September 22, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chal-Chitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1986 :—

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 1986

[U. P. Act no. 21 of 1986]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955

It is hereby enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of long title of U.P. Act no. 3 of 1956

2. In the long title of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, hereinafter referred to as the principal Act, *after* the word "cinematographs" the words "and video" shall be *inserted*.

Amendment of preamble

3. In the preamble of the principal Act, *after* the word "cinematographs" the words "and video" shall be *inserted*.

Amendment of section 2

4. In section 2 of the principal Act,—

(*a*) in clause (*a*) *after* the word "apparatus" the words "other than video" shall be *inserted*;

(*b*) *after* clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely:

"(*aa*) 'exhibition by means of video' means an exhibition in public on payment for admission of moving pictures or series of pictures by playing or replaying a pre-recorded cassette by means of a video cassette player whether on the screen of a television set or videoscope or otherwise;

Explanations—For the purposes of this clause exhibition by means of video in any restaurant or hotel or public transport vehicle shall be deemed to be on payment for admission whether or not payment for admission to such exhibition is charged distinctly from the payment for refreshment or meals or room rent or fare or any other charges, as the case may be."

(*c*) *after* clause (*f*), the following clause shall be *inserted*, namely:

"(*g*) 'Video library' means a place, by whatever name called, where the business of selling or letting on hire or distribution or exchange or putting into circulation in any manner whatsoever, of moving pictures or series of pictures recorded on a video cassette is carried on."

Substitution of section 3.

5. *For* section 3 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:

Licence

"3 Save as otherwise provided in this Act, no person shall—

(*a*) give an exhibition by means of cinematograph, or

(*b*) give an exhibition by means of video, or

(*c*) keep a video library,

elsewhere than in a place licensed under this Act, or otherwise than in compliance with the conditions and restrictions imposed by such licence."

Insertion of new section 6-A

6. *After* section 6 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:

"6-A (1) The Licensing authority or any other officer authorised by Inspection him in this behalf may, with such assistance as may be necessary, enter, inspect and search at any reasonable time, any place ordinarily used or suspected to be used, for exhibition by means of cinematograph or video, or for keeping video library, with a view to securing compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) Every officer, referred to in sub-section (1), shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

(3) Every officer, referred to in sub-section (1), may require a person who is suspected of contravening any of the provisions of this Act or rules made thereunder, to declare immediately his name and address, and if such person refuses or fails to give his name and address, or if the officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the officer may arrest him and detain or get him detained at the nearest police station and the provisions of section 42 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply."

Substitution of section 8.

7. *For* section 8 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely:

"8. (1) If the owner or person incharge of a Cinematograph uses Penalty. or allows it to be used, or if the owner or occupier of a place permits that place to be used for exhibition by means of

cinematograph, or if a person gives exhibition by means of video or keeps a video library, in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder or of the conditions and restrictions upon or subject to which licence has been granted under this Act, he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees, and in the case of continuing offence with a further fine which may extend to five hundred rupees for each day during which the offence continues.

(2) If any person prevents the entry of any officer duly authorised in this behalf, or otherwise obstructs such officer in the discharge of his duties imposed by or under this Act or the rules made thereunder, he shall be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees.

Compounding of Offences.

8-A. (1) Any offence punishable under this Act may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded by the Licensing Authority, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.

(2) Where the offence is so compounded,—

(*a*) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(*b*) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender."

Amendment of section 10

8. In section 10 of the principal Act, *for* the words "any cinematograph exhibition or class of exhibitions" the words "any exhibition or class of exhibitions by means of cinematograph or video or any video library" shall be *substituted.*

Amendment of section 13

9. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2)—

(*a*) in clause (*a*), *for* the words "cinematograph exhibitions may be displayed" the words "exhibitions by means of cinematograph or video may be made or video libraries may be kept" shall be *substituted;*

(*a*) in clause (*a*) *after* the word "apparatus" the words "other than graph exhibition" the words "licenses under this Act" shall be *substituted.*

By order,

S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 91 सा० (विधा०)—(1635)—1986—850 (मैक०)।